



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

मुख्यालय, कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.)
HEAD QUARTER, PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR,
GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/05

दिनांक: 05.05.2025

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 65/2025

विषय: - Implementation of Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the teaching staff in Railway School -reg.

रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(P&A)I-2024/PS-5/PE-3 दिनांक 05.05.2025 , RBE No. 40/2025 की प्रति, सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। इस विषय से संबंधित रेलवे बोर्ड के पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था: -

क्र.	रेलवे बोर्ड का पत्रांक एवं दिनांक, RBE No.	स्थापना नियम संख्या
1.	PC-V/2016/MACPS/1 Dt. 04.02.2020, RBE No. 16/2020	28/2020
2.	PC-V/2009/ACP/2 Dt. 10.06.2009, RBE No. 101/2009	138/2009
	E(P&A)I-87/PS-5/PE-5 Dt. 11.01.1988	37/1988

उपरोक्त नियम दफ्तर की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site- Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

Share Folder- Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.

आर. शंकरन 5/5/25
(आर. शंकरन)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (मुख्या.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 40/2025

सं.ई(पीएंडए)I-2024/पीएस-5/पीई-3

नई दिल्ली, दिनांक: 05.05.2025

महाप्रबंधक और वित्त सलाहकार एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि

विषय: रेलवे विद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों के लिए आशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एमएसीपी) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ:- (i) बोर्ड का दिनांक 11.01.1988 का पत्र संख्या ई(पीएंडए)I-87/पीएस-5/पीई-5.

(ii) बोर्ड का दिनांक 10.06.2009 का पत्र संख्या पीसी-V/2009/एसीपी/2 (आरबीई संख्या 101/2009) और दिनांक 04.02.2020 का पत्र संख्या पीसी-V/2016/एमएसीपीएस/1 (आरबीई संख्या 16/2020).

रेलवे विद्यालयों में शिक्षक वर्तमान में संदर्भ (i) के अंतर्गत उद्धृत बोर्ड के पत्र द्वारा अधिसूचित कैरियर उन्नयन योजना (सीएस) द्वारा शासित हैं।

2. एतद्वारा उपरोक्त संदर्भ (ii) के अंतर्गत उद्धृत बोर्ड के दिनांक 10.06.2009 के पत्र द्वारा अधिसूचित एमएसीपी योजना के दायरे में रेलवे विद्यालयों के शिक्षकों को लाने के लिए अनुमोदन संसूचित किया जाता है। रेलवे स्कूलों में शिक्षण कर्मचारियों के लिए एमएसीपी योजना का कार्यान्वयन भावी प्रभाव से दिनांक 29.04.2025 अर्थात् रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होगा। तदनुसार, रेलवे विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एमएसीपी योजना की शुरुआत के साथ, बोर्ड के दिनांक 11.01.1988 के पत्र (संदर्भ (i)) द्वारा अधिसूचित मौजूदा कैरियर उन्नयन योजना दिनांक 29.04.2025 से वापस ली जाती है। बहरहाल, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी) आदि के पदों पर रिक्तियों के लिए चयन हेतु मौजूदा प्रावधान, निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अध्वधीन जारी रहेंगे।

3. पहले से अर्जित सीनियर ग्रेड और चयन ग्रेड में स्थानन को एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के विरुद्ध पहले समायोजित किया जाएगा और उसके बाद देय कोई भी वित्तीय उन्नयन, एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन को देने के लिए सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्वधीन ही प्रदान किया जाएगा।

4. एमएसीपी योजना के संबंध में बोर्ड का दिनांक 10.06.2009 का पत्र संख्या पीसी-V/2009/एसीपी/2 (आरबीई संख्या 101/2009) और दिनांक 04.02.2020 का पत्र संख्या पीसी-V/2016/एमएसीपीएस/1 (आरबीई संख्या 16/2020) में निर्धारित अन्य सभी नियम और शर्तें रेलवे स्कूलों में शिक्षण कर्मचारियों पर लागू होंगी।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

गौरव पुरी

(गौरव पुरी)

संयुक्त निदेशक, स्था. (पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड

दूरभाष संख्या -011-47845119

ईमेल आईडी : gaurav.rb1@gov.in

सं.ई(पीएंडए)।-2024/पीएस-5/पीई-3

नई दिल्ली, दिनांक: 05.05.2025

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

विकास भारतीजानी
5/5/2025

कृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड

सं.ई(पीएंडए)।-2024/पीएस-5/पीई-3

नई दिल्ली, दिनांक: 05.05.2025

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ़ोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड वर्ग-IV स्टाफ एसोसिएशन।
11. सेक्रेटरी जनरल, एआईआरएफ, एसोसिएशन।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा सं. 8, ग्राउंड फ्लोर, रेल भवन, नई दिल्ली-110001.
13. ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन।
14. जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (पंजीकृत), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुरुग्राम।
15. मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।

साधना
5.5.25

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक(औद्योगिक संबंध), रेलवे बोर्ड

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD / रेलवे बोर्ड)

RBE No. 40/2025

No. E(P&A)-2024/PS-5/PE-3

New Delhi, Dated: 05.05.2025

The General Managers and FA & CAOs,
All Indian Railways and Production Units etc.

Sub: Implementation of Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the teaching staff in railway schools— reg.

Ref:- (i) Board's letter No. E(P&A)-87/PS-5/PE-5 dated 11.01.1988.
(ii) Board's letter No. PC-V/2009/ACP/2 dated 10.06.2009 (RBE No. 101/2009)
and PC-V/2016/MACPS/1 dated 04.02.2020 (RBE No. 16/2020)

Teachers in Railway schools are presently governed by the Career Advancement Scheme (CAS) notified vide Board's letter quoted under reference (i).

2. Approval of the Railway Board is hereby communicated for bringing the railway school teachers within the ambit of MACP Scheme notified vide Board's letter dated 10.06.2009 quoted under reference (ii) above. The implementation of the MACP Scheme for teaching staff in railway schools will take effect prospectively from 29.04.2025 i.e. the date of approval by Railway Board. Accordingly, with the introduction of the MACP Scheme for the railway school teachers, the existing Career Advancement Scheme notified vide Board's letter dated 11.01.1988 {ref. (i)} stands withdrawn w.e.f. 29.04.2025. However, the existing provisions for selection to the posts of Trained Graduate Teachers (TGTs), Post Graduate Teachers (PGTs), etc. against vacancies, subject to fulfillment of prescribed norms would continue.

3. The placements in Sr. Grades and Selection Grades already earned will be first adjusted against the financial upgradation(s) under MACP Scheme and any financial upgradation(s) due thereafter only will be granted subject to fulfillment of all prescribed conditions for grant of financial upgradation(s) under MACP Scheme.

4. All other terms and conditions envisaged in Board's letters No. PC-V/2009/ACP/2 dated 10.06.2009 (RBE No. 101/2009) and PC-V/2016/MACPS/1 dated 04.02.2020 (RBE No. 16/2020) regarding the MACP Scheme shall be applicable to teaching staff in Railway schools.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.



(Gaurav Puri)

Joint Director /E (P&A)

Railway Board

Tele No. 011-47845119

Email ID: gaurav.rb1@gov.in

No. E(P&A)I-2024/PS-5/PE-3

New Delhi, Dated: 05.05.2025

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.

V. Mauligani,
5/5/2025

For Member Finance/Railway Board

No. E(P&A)I-2024/PS-5/PE-3

New Delhi, Dated: 05.05.2025

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, R.No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, R.No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officer Association, R.No.402, Rail Bhawan.
6. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF, Room No.341-C, Railway Board.
8. The President, Indian Railway Class II Officer Association.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
11. The Secretary General, AIRPF Association.
12. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, R.No.8, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
13. All India O.B.C. Railway Employee's Association.
14. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.
15. The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.

ASL
5.5.25

for PED(IR), Railway Board

Copy to : PSOs/Sr. PPSs/PPSs/PSs/PAs to :-

MR, MoSR(S), MoSR(R), CRB & CEO, Member Finance, Member Infra., Member (T&RS), Member (O&BD), DG(HR), DG(RHS), DG(RPF), DG(Safety), OSD/MR OSD/Co-ord/MR, Advisor/MR, EDPG/MR, Addl. PS/MR, Addl. PS/MoSR(S), Addl. PS/MoSR(R), Secretary, All Additional Members/ Advisors/ Executive Directors/ Joint Secretaries/ Directors/ Joint Directors/ Deputy Secretaries/ Deputy Directors/ Under Secretaries.

All Branches and Officials of Railway Board.
